Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सजना पत्नी छोटूराम बनाम सरस्वती देवी आदि

किस्म मुकदमाः– अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नं.:–53/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
18.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता अपील पेश कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के पति व रेस्पो0 संख्या 2, 3 के पिता हंसराज पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी सरदारगढ़ के नाम वाके चक 12 एसएचपीडी के खाता नम्बर 50/48 के पत्थर न. 87/356 (15) के किला न. 1 ता 25 में 6.325 है0 कमाण्ड़ भूमि मे से 3.162 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन शुदा है। रेस्पो0 संख्या 1 के पति व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता हंसराज पुत्र हरचन्द द्वारा अपने हिस्सा की भूमि 3.162 है0 कमाण्ड़ भूमि में से 0.506 है0 भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 01.7.2019 को अपीलांट के हक में कर दिया था तथा शेष भूमि में से रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि मे से 0.506 है0 भूमि का बैयनामा दिनांक 10.09.2020 को अपीलांट के हक में निष्पादित किया था। इस प्रकार अपीलांट के हक में दो बैयनामा कमशः दिनांकित 01.7.2019 व 10.9.2020 निष्पादित हुए। जिसमें से दिनांक 10.9.2020 को रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा अपीलांट के हक में निष्पादित बैयनामा का नामांतरण जरिये नामांतरण संख्या 230 अपीलांट के हक में राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है जबकि दिनांक 01.7.2019 को रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के पति/पिता हसंराज पुत्र हरचन्द द्वारा अपीलांट के हक में निष्पादित बैयनामा का नामांतरण अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हुआ। अतः अपील स्वीकार की जाकर विरास्तन इंतकाल संख्या 226 दिनांक 09.7.2020 निरस्त फरमाते हुए हंसराज पुत्र हरचन्द के हिस्सा की भूमि 3.162 है0 में से 0.506 है0 कमाण्ड़ भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.7.2019 के आधार पर नामांतरण दर्ज करने के आदेश फरमाये। रेस्पोडेंटगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम रेस्पोडेंटगण के पति/पिता/दादा द्वारा अपीलांट के हक में एक बैयनामा दिनांक 01.07.2019 को निष्पादित करवाया गया था जिसका हम रेस्पोडेंटगण को इल्म न होने के कारण हम रेस्पोडेंटगण द्वारा अपने पति/पिता/दादा स्व0 हंसराज पुत्र हरचन्द की मृत्यु उपरांत विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा लिया गया। यदि जैर अपील आदेश दिनांक 09.07.2010 इंतकाल संख्या 226 निरस्त करके अपीलांट के हक में स्व0 हंसराज पुत्र हरचंद द्वारा निष्पादित बैयनामा दिनांक 01.07.2019 के आधार पर अपीलांट के हक में 0.506 है0 भूमि का नामांतरण दर्ज किया जाता है तो हम रेस्पोडेंटगण को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । रेस्पोडेंगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील में वर्णित तथ्यों को रेस्पोडेंटगण द्वारा स्वीकार करते हुए अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2021 के द्वारा अपीलांट की अपील बैयनामा दिनांक 01.7.2019 के आधार पर अपीलांट के हक में 0.506 है0 भूमि की हद तक नामांतरण स्वीकार करने बाबत रेस्पो0 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेंटगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2021 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ का नामांतरण संख्या 226 दिनांक 09.7.2020 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 12 एसएचपीडी के खाता नम्बर 50/48 के पत्थर न. 87/356 (15) के किला न. 1 ता 25 में 6.325 है0 कमाण्ड भूमि में से 3.162 है0 भूमि में से अपीलांट सजना पत्नी छोटूराम जाति मेघवाल निवासी चक 11 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ के नाम दिनांक 01.7.2019 को निष्पादित बैयनामा के आधार पर 0.506 है0 भूमि का नामांतरण अपीलांट सजना पत्नी छोटूराम के नाम से व शेष भूमि का नामांतरण मुताबिक रिकार्ड दर्ज किया जावे। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2021 को जारी स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है।निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 हरीतिमा) अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)	

D:\Naval\...

Scanned by CamScanner